पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण 2024-25// 1460 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 09 जुलाई, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2024-25 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैतालिस-का-4-2024-1/3/96 दिनांक 11-06-2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-1053 दिनांक 13-06-2024 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के लिए सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2024-25 जारी की गयी है। उक्त जारी स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण सत्र-2024-25 में समस्त स्थानान्तरण दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे।

शासन के स्थानान्तरण नीति दिनांक 11-06-2024 में स्थानान्तरण हेतु कट ऑफ डेट 31-03-2024 निर्धारित की गयी है। कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कट ऑफ डेट 31-03-2024 निर्धारित होने के कारण सचलदल एवं वि0अनु0शा0 एवं प्रवर्तन इकाईयों मे तैनात कार्मिको की एक वर्ष पूर्ण न होने के कारण उनका स्थानान्तरण संभव नही हो पा रहा था। उक्त के दृष्टिगत राज्य कर विभाग में लिपिक वर्गीय कार्मिको एवं वाहन चालकों के स्थानान्तरण हेतु दिनांक 31-07-2024 तक का समय प्रदान करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या-वि0स0/यू0ओ0-1136/11-1-2024 दिनांक 05-07-2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा राज्य कर विभाग के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु पत्र संख्या-वि0स0/यू0ओ0-1135/11-1-2024 दिनांक 05-07-2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

कृपया शासन के उपरोक्त पत्रों एवं मुख्यालय के पत्र संख्या-1053 दिनांक 13-06-2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलगनक- उपरोक्तानुसार।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक // उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
02- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।
03- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
04- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
05- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
06- समस्त अनुभाग अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
07- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
08- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0/संग्रह) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
09- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
12- पटल प्रभारी-स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(क) / स्था-5(ग) / स्था-3 (क)/ स्था-3(ख) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- वि०स०/यू0ओ0-1136 /11-1-2024

प्रेषक,

हरी राम
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-3 लखनऊ :: दिनांक :: 05 जुलाई , 2024

विषयः वर्ष 2024-25 हेतु राज्य कर विभाग के कार्मिको की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था-5(ख)-स्थानान्तरण नीति-2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25/1312/राज्य कर दिनांक 28.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समूह ग व घ के कार्मिको के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभागीय स्थानान्तरण नीति तथा स्थानांतरण हेतु दिनांक 31.07.2024 तक का समय प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा राज्य कर विभाग के कार्मिको के स्थानांतरण हेतु पत्र संख्या वि०स०/यू0ओ0-1135 /11-1-2024 दिनांक जुलाई 2024 द्वारा अपेक्षित दिशा निर्देश दिए गए है । अतः कृपया प्रश्नगत प्रकरण में भी तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(हरी राम)
विशेष सचिव

संयुक्त आयुक्त (स्था)

आयुक्त
(डा० नितिन बंसल)
आयुक्त
राज्य कर, उ० प्र०।

850

स्थापना (अराजपत्रित) अनुभाग

स्था 5(ख)

08/07/2024
DC (estt)

डिप्टी आयुक्त (स्था)
08/07/2024
197

पत्र संख्या- वि०स०/यू0ओ0-1135/11-1-2

प्रेषक,

हरी राम
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक :: 05 जुलाई , 2024

विषयः वर्ष 2024-25 हेतु राज्य कर विभाग के अधिकारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था0-1/वार्षिक स्थानान्तरण नीति /2024-25/104/राज दिनांक 12 जून 2024 एवं पत्र संख्या-स्था0-1/वार्षिक स्थानान्तरण नीति /2024-25/130/राज दिनांक 26 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2024-1/3/96 दिनांक 12.06.2024 को संदर्भित कर विभागीय स्थानान्तरण नीति 2024 निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य कर विभ कार्मिको के स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार उपलब्ध कराने कि अपेक्षा की गयी है -

1- कार्मिको के स्थानांतरण हेतु विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्थानान्तरण हेतु 20 प्र की निर्धारित सीमा में शिथिलता प्रदान की गई.

2- स्थानांतरण हेतु समय-सीमा दिनांक 31.07.2024 तक बढाई गई.

3- ~~सचल दल इकाई पर अधिकतम तैनाती अवधि 01 वर्ष होगी।~~

4- वि0अनु0शा0 मे अधिकतम तैनाती अवधि 02 वर्ष होगी।

5- सचल दल से सचल दल या वि0अनु0शा0 में तथा वि0अनु0शा0 से वि0अनु0शा0 या सचल में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होंगे।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आव कार्यवाही करने तथा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(हरी राम)
विशेष सचिव

संयुक्त आयुक्त (स्था)

849

(डॉ0 नितिन बंसल)
आयुक्त
राज्य कर, उ0 प्र0।